13/01/14 वादानुसार अभियोजन साक्षियों व अभियोजन अधिकारी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत का.मु. आवेदन प्रतिलिपि सं. 1 गोरनराम की मृत्यु हो 19/01/13 को का.मु. आवेदन दि. 06/02/12 को पेश किया है। प्रति वकील प्रतिवादी को आज दि. 13/01/14 को उपलब्ध कराई। वकील प्रार्थीगण के का.मु. आवेदन के साथ प्रलेख पेश नहीं करके वाद प्रतिलिपि सं. 3, 5 व प्रारंभिक आपत्ति का.मु. की कि आवेदन विलम्ब से पेश किया है। विलम्ब का कारण उल्लेख नहीं किया है। इसलिए का.मु. आवेदन खारिज कर दावा अवैध घोषित करने की प्रार्थना की। वादी के अधिवक्ता ने प्रार्थना की कि मृतक के हितों की अभिरक्षा नहीं है। इसके लिए वादी प्रार्थीगण ने प्रारंभिक आपत्ति निरस्त कर प्रलेख पेश करने विशेष रूप से का.मु. का प्रलेख पेश करने विलम्ब से पेश किया गया है आवेदन उसका कारण से पेश किया गया है

जो मौजूदा का.मु. के कब्जेदार के रिकार्ड पर लिखे गये। वादिनी प्रतिवादी नं. 3, 5 ने का.मु. आवेदन की आपत्ति के समर्थन में RLW 2005 (1) RJ भानजी व अन्य बनाम मंगलाराम व अन्य की नजीर पेश की गई है।

इस वाद वादिनी द्वारा प्रतिवादी सं.1 गोरधन की मृत्यु दि 19/11/2013 का का.मु. आवेदन दि 06/8/13 को पेश किया है। श्रीमती प्रभावती बहन मृतक का.मु. आवेदन सिर्फ रिट अपील दा. दि. न्यायालय में पेश हो जाना चाहिये। जिला न्यायालय पर पेश होने पर प्रतिदिन का दिनांक का.मु. अंकित किया जाता है तथा नियम अपील धारा 5 का आवेदन भी साथ पत्र पेश किया जाना चाहिये एवं लेकिन दिनांक के सम्बन्ध में वादिनी वादिनी ने उसी प्रकार का दिनांक का.मु. अंकित नहीं किया है एवं साधारण आवेदन पेश कर परिसीमा के रिकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया है। इसी स्थिति में वादिनी प्रतिवादी सं. 3 व 5 की प्रार्थना आपत्ति बाधा स्वीकार की जाने योग्य है। चूंकि वादिनी द्वारा मृतक पिता महादेव की विवादित आराजियात ख.नं. 2666/4082, 2667 किला 2 कुल रकबा 1.25 है, ख.नं. 2666/4081, 2738, 2739, 2740, 2741/4080 किला 5 कुल रकबा 7.01 है एवं ख.नं. 2666, 2741, 2741/3998, 3015, 3016 किला 5 कुल रकबा 11.77 है जो मय आबादी वाहिनी दोनूमाठ जिला सीकर की भूमियों को प्रतिवादी सं. 1 व 2 की उत्तराधिकारी 1/2 के से 43 अर्थात 1/6 की उद्घोषणा चाहते हैं एवं आपत्ति का.मु. आवेदन स्वीकार किये जाने से किसी एक प्रतिवादी तक हक अवैध नहीं होगा संपूर्ण हक अवैध होना योग्य है। इस सम्बन्ध में वादिनी प्रतिवादी सं. 3, 5 द्वारा प्रस्तुत नजीर RLW 2005 (1) RJ के हवाला में स्पष्ट अभिलेख किया गया है कि अनुच्छेद 120 के अधीन पक्षकार की मृत्यु के पश्चात उसके वाद के कारण अर्थात 22 नियम 4 के तहत आवेदन दायर नहीं किया जाता

सोसियेशन, दांतारामगढ़

है के बाद या अपील का उपशमन हो जाता
है - अनुच्छेद 121 के अनुसार आदेश 22 नियम
9 के तहत उपशमन समाप्त करने हेतु परिसीमा
अवधि 60 दिवस है, अनुच्छेद 137 लागू नहीं
होता -- विलम्ब माफी हेतु परिसीमा अधिनियम
1963 की धारा 5 के तहत आवेदन लागू
नहीं किया - प्रतिवादी की मृत्यु की तिथि
से 90 दिवस के भीतर आवेदन लागू करना
होता है)" इस प्रकार प्रतिवादी नं 1 गेंदराम
की मृत्यु दि 19/01/13 को बताते है तथा
का.पु आवेदन दि 06/05/13 को पेश किया
है तथा विलम्ब क्षमा हेतु तथा 5 अधिनियम
अधिनियम आवेदन पेश नहीं किया है)
तथा वादिनी का तथा उपस्थित अ
है) अ. सभी स्थिति में प्रतिवादी सं-1 के
विरुद्ध वाद अबेटेड नहीं होकर मूल
हालत अबेटेड होगया है) अतः का.पु आवेदन
प्रतिवादी सं.1 खारिज का नियम सिद्धान्त
खारिज अ संपूर्ण हालत अबेटेड किये
जाने के आदेश दिये जाते है) अपील
फैसला मुताबिक है)

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़